फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

रामकिशन बनाम मोहरबाई

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र मु0नं0– 109/2021

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2026	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी पुराना 66/1/11 रकबा 5 बीघा भूमि वाके रामा कालवान में स्थित थी जो कि सन 2001 से नथ्या पि0 गंगाराम कोम बलाई निवासी कालवान की खातेदारी भूमि रही है। नथ्या की मृत्यू हो चुकी है जिसके वर्तमान खातेदार वारिस प्रार्थीगण है। तथा धन्ना पुत्र गंगाराम द्वारा बाद में अपने हिस्से 1/2 की भूमि को अप्रार्थी संख्या 10 को बेचान कर दिया जिसके नया खसरा नंबर 125/1084 रकबा 1.26 है0 बनाया गया है। सन 2002 में सम्पूर्ण खसरा नंबर 66 के समस्त उप नंबर 1–20 की तरमीम की गई थी जिसमें प्रार्थीगण एवं उनके काका धन्ना की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 66/1/11 रकबा 5 बीघा की तरमीम नही की तथा उनकी कब्जे काश्त की भूमि पर अप्रार्थीगण संख्या 3–9 के पूर्वज कल्याणसहाय की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 66/1/18 रकबा 9 बीघा में समाहित कर दिया तथा पूरी नक्शाशीट मे खसरा नंबर 66/1/11 की तरमीम नही की इस पर प्रार्थीगण के पिता व काका ने उनवानी प्रकरण नथ्या बनाम कल्याण मु0न0 48/2002 वास्ते तरमीम निरस्तीकरण एवं पुनः तरमीम वास्ते न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 31.03.2004 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय द्वारा तहसीलदार सिकराय से जांच रिपोर्ट तलब कर दिनांक 31.03.2004 के निर्णय द्वारा खसरा नंबर 66/1/12 ल0 66/1/20 तक की तरमीम निरस्त कर पुनः रिपोर्ट दिनांक 27.05.2004 के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम किये जाने के आदेश दिए गए जिसके अनुसरण में खसरा नंबर 66/1/11 की तरमीम की गई। क्यूकि उक्त तरमीम के बाद प्रार्थीगण के काका द्वारा अपने हिस्से की भूमि बेचान कर दिया तो कब्जे के विवाद के कारण मिन प्रार्थीगण ने पिता द्वारा दावा विभाजन न्यायालय हाजा के समक्ष मु0न0 61/2007 अंतिम निर्णय एवं डिक्री 02.09.2011 उक्त खातेदारी भूमि का बंटवारा किया गया जिसकी तरमीम भी राजस्व में एवं नामान्तकरण संख्या 1578 ग्राम कालवान तस्दीक दिनांक 14.07.2012 के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर दिया। वर्णित प्रकरणों के विचारण एवं निर्णय एवं उसकी पालना की समयवधि में तहसील सिकराय क्षेत्र समस्त जिसमें ग्राम कालवान भी शामिल था राज्य सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड बन्दोबस्त विभाग के अधीन कर बन्दोबस्त कार्य संकियाधीन करने का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसके द्वारा न्यायालय हाजा के मुकदमा सं 48/02 एवं निणर्य दिनांक 31–03–2004 उनवानी प्रकरण नत्था बनाम कल्याण के द्वारा निरस्त की गयी तरमीम मो नई नक्शा सीट में नई नम्बर डालकर न्यायालय के निर्णय के पूर्व की स्थिति में ला दिया तथा पूर्व के संयुक्त खसरा नं. 66/1/11 रकबा 5 बीघा का नया नम्बर 125/1084 रकबा 1.26 है0 नवीन राजस्व रिकॉर्ड (खतौनी एवं नक्शा सीट) में दर्ज कर दिया थ्ज्ञा। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण के	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

रामकिशन बनाम गोरधनई

मुकदमा - 107/2021

पिता द्वारा उक्त सीट के संशोधन हेतु वाद पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया था तथा दौराने विचारण प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो गई थी तथा प्रार्थीगण विदेश में होने से उक्त दावे को पुनः करने अनुमति देते निस्तारित कर दिया था। अब चूकि प्रार्थीगण विदेश से आ गये तथा अपना नामान्तकरण भी कर लिया है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा जो गलतिया की गई है उनमें ही तहसील सिकराय में कार्यरत राजस्वकर्मियों द्वारा रिकॉर्ड अपडेट करते हुये राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अंकन सही कर दिया जिसमें विभाजन की डिक्री के नामान्तकरण का अमल कर एवं बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रदान किये गये खसरा नं. 125/1084 को मुताबिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 2–9–11 के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमी खसरा नं. 125/1110 रकबा .63 है0 दर्ज जमाबंदी कर दिया तथा आराजी खसरानं. 66/1/11/2 रकबा 2 बीघा 10 सिस्वा का नया नम्बरमुताबिक विभाजन की डिक्री खसरा नं 125/1111 रकबा .63 है0 अप्रार्थी सं 10 के नाम कर दिया किन्तू पूर्व नक्शा एवं विभाजन के नक्शे की तरमीम नई सीट में नहीं की। इस प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं 66/1/11/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा (पुराना) खसरा नं 125/1110 रकबा .63 है0 (नया) मुताबिक कब्जे काश्त एवं पूर्व में पारित किये न्यायालय हाजा के निर्णयों के अनुसार वर्तमान खसरा नं. 125/1084 जिसमें प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा था तथा मुताबिक बंटवारा खसरा नं. 66/1/11/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा है। वर्तमान नक्शा सीट में अंकित खसरा नं 122 व 1156/126 में समाहित है। इस प्रकार वर्तमान नक्शासीट में अंकित खसरा नंबर 122, 125, व 125 के समस्त उप नम्बर तथा 126/1156 वाके रामा कालवान तहसील सिकराय की तरमी निरस्त कर पुनः पूर्व निर्णयों मौका रिर्पोट एवं मुताबिक कब्जे काश्त के यिका जाना आवश्यक ळें

इत्यादि पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार सिकराय से जवाब तलब किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि साबिक खसरा नंबर 66/1/11 रकबा 5 बीघा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के प्रकरण 61/2007 में निर्णय दिनांक 02.09.2011 के अनुसार खसरा नंबर 66/1/11/1 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा व 66/2/11/2 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा खातेदारी क्रमशः नाथ्या पुत्र गंगासहाय बैरवा व मीरा देवी पत्नि रमेशचन्द बैरवा के नाम अंतिम डिक्री जारी की हुई है। तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट में वर्तमान एवं साबिक नक्शाशीट में तुलनात्मक अन्तर को लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि के बंटवारे द्वारा स्वीकृत विभाजन प्रस्ताव की नकल पेश की है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि साबिक नक्शाशीट अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम नहीं की गई है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर विवादित भूमि की तरमीम पूर्व में हुए विभाजन में पारित अंतिम डिक्री नक्शा/तहसीलदार सिकराय द्वारा रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शित नक्शे अनुसार तरमीम किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा